1	2	3
10.	Madhya Pradesh	384.00
11.	Maharashtra	432.00
12.	Manipur	14.40
13.	Meghalaya	9.60
14.	Nagaland	14.40
15.	Orissa	168.00
16.	Punjab	192.00
17.	Rajasthan	192.00
18.	Sikkim	9.60
19.	Tamil Nadu	432.00
20.	Tripura	24.00
21.	Uttar Pradesh	864.00
22.	West Bengal	480.00
23.	Andaman & Nicobar Island	3.84
24.	Arunachal Pradesh	—
25.	Chandigarh	9.60
26.	D & N Haveli	0.96
27.	Delhi	—
28.	Goa	14.00
29.	Lakshdweep	—
30.	Mizoram	9.60
31.	Pondicherry	9.60
	TOTAL :	48.00 Crore

Outlay for housing units for police personnel etc.

3316. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what was the outlay approved for 1985--90, on the basis of the recommendations of the 8th Finance Commission, for construction of housing units for police personnel, buildings for Police Stations, new police Units and creation of posts of women constables;

(b) what was the allocation and actual disbursement, State-wise and year-wise; and

(c) the States/Union Territories which were given no money or little money for the purpose and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) The outlay for the years 1985-89, on the basis of the recommendations of the 8th Finance Commission for construction of housing units for police personnel, buildings for Police Stations, new Police Units and creation of posts of women constables etc. was Rs. 27,539.55 lakhs & Rs. 15,410.60 lakhs for the year 1989-90 under the 9th Finance Commission. Thus, the total outlay for the years 1985—90 was Rs. 43,950.15 lakhs.

(b) and (c) A statement showing the allocation and disbursement State-wise and year-wise is attached at Annexure [*See* Appendix CLV, Annexure No. 116]. The States of Gujarat, Karnataka, Maharashtra & Tamil Nadu did not get the money. However, on the basis of the recommendations of the 9th Finance Commission in their First report, a grant of Rs. 25 crores was given to Tamil Nadu to cope with the problems of Sri Lanka refugees. This also includes a provision of Rs. 2.89 crores for construction of quarters for police personnel and new Police Station Buildings in refugees affected areas.

सरकारी कर्मचारियों के लिए ी चालित सें

3317. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यालयों तक ले जाने तथा वापस लाने के लिए बैटरी चालित बसें चलायी हैं, यदि हां, तो इस समय चल रही ऐसी बसों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन बसों को कब चलाया गया था तथा इन बसों में यात्रा करने के लिए कितना किराया निर्धारित किया गया है ;

(ग) इन बसों के चलाने से सरकार को प्रतिमाह कितनी आय होती है तथा इन बसों की परिचालन लागत कितनी है ; और

(घ) इन बसों के चलाने से सरकार को प्रतिमाह कितनी हानि अथवा लाभ होता है तथा इन बसों के चलाए जाने का औचित्य क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्निकृष्णन) : (क) से (घ) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग (डी० एन ई०एस) द्वारा दिल्ली ऊर्जा विकास अभिकरण (डी ई डी ए) के साथ की गई एक व्यवस्था के अन्तर्गत डी०ई०डी०ए० 10 जुलाई, 1989 से सरकारी ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारियों के लिए सी० जी०ओ० परिसर में नार्थ ब्लाक तक आने जाने के लिए एक अन्तर कार्यालयी बैटरी चालित मिनी बस सेवा चला रहा है । इस समय डी ई डी ए द्वारा ऐसी 12 बसें सेवा में लगाई हुई है और ये बसें कार्यालय समय के दौरान 15 मिनट के अंतराल पर चलती है । सरकारी ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी इस बस सेवा का उपयोग करते हैं और पासों/पहचान पत्रों के आधार पर इनमें यात्रा करते है । उनसे कोई किराया नहीं लिया जाता है ।

इस प्रकार किराए से कोई आमदनी नहीं है । तथापि इस शटल सेवा का उपयोग करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई यात्रा प्रभार स्वीकार्य नहीं है ।

डी०एन०ई०एस० और डी०ई०डी०ए० के बीच हुए करार के अनुसार डी०ई०डी०ए० प्रति प्रचालित कि०मी० पर 5·50 रु० की दर से प्रतिपूर्ति प्राप्त करता है । डी०ई०डी०ए० को लगभग 72,600 रु० की प्रतिमाह प्रतिपूर्ति की जाती है ।

बैटरी प्रचालित सेवा को चलाने का उद्देश्य समय की पाबन्दी एवं सुविधाजनक सेवा प्रदान करना है ताकि सरकार कर्मचारी कार्यालयों के बीच ड्यूटी पर शीघ्रता से और न्यूनतम सरकारी खर्च